

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. बंटी पुत्र देबीलाल जाट आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता पत्नी देबीलाल जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. नरेश पुत्र देबीलाल जाट आयु 09 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता पत्नी देबीलाल जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. अमन पुत्र देबीलाल जाट आयु 06 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता पत्नी देबीलाल जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. अंजली पुत्री देबीलाल जाट आयु 03 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती गीता पत्नी देबीलाल जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. देबीलाल पुत्र पन्ना जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. प्यारी बेवा पन्ना जाट आयु वयस्क निवासी किरतपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
5. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 164/2013 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मनोहर लाल बुनकर उपस्थित नहीं — इस वाद में आज तारीख 10.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


10/2/25
(अरुण कुमार जैन) कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

बंटी व/र देवी लाल वर्मा
काद सं. 164/2013

10/2/25

पत्रावली प्रेषण (बंटी व/र देवी लाल वर्मा एवं देवी माध्वी.
अनुपस्थित) वादीगण एवं वादी आधिपत्यता को
निम्नानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गईं किंतु
कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधि.
के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा उल्टा वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 शब्दकारण कार्रकारी
माध्वीनिष्ठ में वादीगण एवं वादी आधिपत्यता को
पुनः न्यायालय में आवाजें लगवाई गईं, किंतु कोई
उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधिपत्यता
के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण
वादीगण द्वारा उल्टा वाद को अदम टाजरी। अदम
पैकी में खारिज किया जाया है। किंतु सर
इसलगत सुनाया गया। उकी पचास जारी है।

पत्रावली मौतल शुमार होकर
ताकत दफतर ही तथा नम्बर से कम है।

10/2/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा